न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 43/2022

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. राजेन्द्र पुत्र वासुदेव जाति महेश्वरी निवासी बाखासर रोड चौहटन बाड़मेर (मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग क0 बाखासर रोड चौहटन बाड़मेर का मैनेजर)
2. कल्पेश पुत्र तुलजाराम जाति महेश्वरी निवासी गडरा रोड बाड़मेर (मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग क0 बाखासर रोड चौहटन बाड़मेर फर्म का मालिक एवं खाद्य अनुज्ञापत्र धारक)
3. मनिषा पत्नी कल्पेश जाति महेश्वरी निवासी गडरा रोड बाड़मेर (मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग क0 बाखासर रोड चौहटन बाड़मेर फर्म प्रोप्राईटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री नरेश छाजेड़, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.06.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म **मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग क0 बाखासर रोड चौहटन बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **06.01.2022** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबीन तेल ब्राण्ड आस्था (350 एमएल)** जो कि अलग–अलग पैकिंग में भरा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 350 एमएल के कुल चार पैकेट **रिफाईन सोयाबीन तेल ब्राण्ड आस्था (350 एमएल)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1486** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबीन तेल ब्राण्ड आस्था (350 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबीन तेल ब्राण्ड आस्था (350 एमएल)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **18.01.2022** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी को सुनवाई के प्रत्येक अवसर पर जवाब का समुचित मौका दिया गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिरक्षण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने का **मिथ्याछाप** पाये जाने के संबंध में अप्रार्थीगण की मौन जुर्म स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 250000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर